राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निर्णय

एकल पीठ दाण्डिक अपील संख्या 151/1988

सुगन **बनाम** राजस्थान राज्य ।

निर्णय दिनांक : 30 जून,2009

उपस्थित

माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रिनेश गुप्ता उप0
राजस्थान राज्य की ओर से लोक अभियोजक श्री पीयूष कुमार उप0

न्यायालय द्वारा-

1- यह अपील, अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, करौली के निर्णय दिनांक 30/4/1988 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी सुगन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के अन्तर्गत चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा पांच सौ रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया है और अदम अदायगी जुर्माना 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया गया है।

2- मैनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों को सुना एवं आक्षेपित

आदेश का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अनुशीलन किया।

3- इस प्रकरण के तथ्यों में जाने से पूर्व, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रिनेश गुप्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की है कि वे दोषसिद्वि के आदेश को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि न्यायालय से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि यह प्रकरण दिनांक 26/7/86 का है जो कि आज से लगभग 23 वर्ष पुराना है। अपीलार्थी गरीब व्यक्ति है और वृद्वावस्था को प्राप्त हो चुका है तथा उसके विवाह योग्य पुत्र व पुत्रियां हैं। अपीलार्थी इस प्रकरण में 16 दिन न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है और उसने यह अवधि अपने द्वारा कारित किये गये अपराध के प्रति प्रायश्चित करने में व्यतीत की है। उनका कथन है कि अपीलार्थी एवं उसके परिवार के भविष्य को मध्यनजर रखते हुए, उसे भुगती हुई सजा पर छोडा जावे। इस संबंध में उन्होंने न्यायालय का ध्यान नायबसिंह बनाम पंजाब राज्य [1986 Cr.L.J.2061] वाले दृष्टान्त की ओर भी आकर्षित किया।

4- इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक श्री पीयूष कुमार ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को का घोर विरोध किया।

5- दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात, प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अपीलार्थी-अभियुक्त को, उसके द्वारा 16 दिन न्यायिक अभिरक्षा में बिताये गये समय की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उसे भुगती हुई सजा पर छोडा जाना उचित है।

6- अत: यह अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है और अपीलार्थी सुगन

को भुगती हुई सजा पर छोडा जाता है। उसके जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। लेकिन अपीलार्थी को पांच हजार रुपये दण्ड के रुप में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, करौली के समक्ष पांच महीने के भीतर-भीतर जमा कराने होंगे और उक्त राशि जमा होने के पश्चात नियमानुसार आहत अभियोजन साक्षी संख्या 1 नथौली को दे दी जावे। अगर अपीलार्थी उक्त पांच हजार रुपये की राशि पांच महीने के भीतर-भीतर जमा नहीं कराता है तो वह एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा और भुगतेगा। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, करौली के निर्णय दिनांक 30/4/1988 को उपरोक्त प्रकार से रुपान्तरित किया जाता है।

(महेशचन्द्र शर्मा)
न्यायाधिपति

/राम/